न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1372

1. मीरा देवी पत्नी जगनसिंह,
2. जगनसिंह पुत्र श्योजीराम खर्रा,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील रींगस, जिला सीकर, राज0।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. मनोहरी देवी पत्नी सोहनलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील रींगस, जिला सीकर, राज0।
2. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कार्यालय रींगस, जिला सीकर, राजस्थान।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर दिनांक 22.08.2023 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी मनोहरी देवी बनाम भूमिधारी तहसीलदार मुकदमा नंबर 189/2023 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री हजारी लाल शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री के आर शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–27.06.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 22.08.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 09.05.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 2881/1 रकबा 0.4100 है0 भूमि वाके ग्राम सरगोठ, पटवार हल्का सरगोठ, भू.अभि.नि. रींगस, तहसील रींगस, जिला सीकर में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रींगस को आदेश दिये गये कि भूमि ख0नं0 2881/1 रकबा 0.4100 है0 तन ग्राम सरगोठ, पटवार हल्का सरगोठ, तहसील रींगस, जिला सीकर का रूबरू पक्षकारान यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो सीमा कायम करते हुए पैमाईश कर कब्जा व मौका की स्थिति में कोई परिवर्तन किये बिना पत्थरगढ़ी करावें। यदि कब्जा संबंधी किसी प्रकार का विवाद हो तो प्रभावित खातेदार सक्षम न्यायालय में पृथक से वाद पेश कर चाराजोही करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2023 पारित किये गये हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 22.08.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट मीरा देवी पत्नी जगनसिंह ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील

स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर दिनांक 22.08.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.08.2023 विधि–विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना अनुचित अवैध तथा परवर्स निर्णय पारित किया हैं। कानूनन दो भूमियों के मध्य सीमाज्ञान किये जाने की स्थिति में संबंधित तहसीलदार को पडौसी काश्तकारों की मौजूदगी में सीमाज्ञान किया जाना चाहिये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 2881/1 के पूर्व दिशा की ओर सीमा से लगवा अपीलान्टस् की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2881/2 स्थित है तथा उक्त दोनों खसरा नम्बर की भूमियों के मध्य काफी सालों पूर्व से सीमेंन्ट के पिलर गड़े हुये है तथा तारबन्दी हो रखी है। जिससे अपीलान्टस् व रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 आपस में पडौसी खातेदार काश्तकार है। लेकिन पडौसी काश्तकारों को संबंधित तहसीलदार ने सीमाज्ञान के आदेश पारित किये जाने से पूर्व कोई नोटिस इत्यादि जारी नहीं किये गये है। इसलिये भी उक्त सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2023 विधि–विरूद्ध है। उक्त सीमाज्ञान अपीलान्टस् को नियमानुसार सूचना दिये बिना गैर मौजूदगी में किया गया है तथा नियम विरूद्ध किये गये सीमाज्ञान के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.8.2023 पारित किया गया है, जो सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। विधि का सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत जहां कोई विवाद न हो ओर केवल सीमाज्ञान कराना हो वहां तहसीलदार के स्तर पर ऐसी कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु जहां विवाद हो वहां लैण्ड रिकॉर्डस् ऑफिसर अधिकारी अर्थात उपखण्ड अधिकारी धारा 111 के प्रावधानों के तहत सीमाज्ञान करायेगा। अपीलान्टस् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमियों के मध्य काफी सालों से पुख्ता तारबन्दी हो रखी है। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जबरन पीलर व तारबन्दी को तोडकर अपीलान्टस् की कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि में जबरन अवैध रूप से कब्जा करने की नापाक कोशिश की जाती रही है। नियम विरूद्ध किये गये सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2023 व अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.08.2023 की आड़ में जबरन अपीलान्टस् के पीलर व तारबन्दी को तोडकर अवैध कब्जा करने की फिराक में है। जिससे मौके पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। जबकि पक्षकारान् शुरू से ही अपनी–अपनी भूमियों के नाप करवाकर सीमायें कायम करवाने के उपरान्त पुख्ता पीलर व तारबन्दी कर अपने–अपने हक व अधिकार की भूमियों पर काबिज काश्त चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जबरन विवाद उत्पन्न करने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित व पीड़ित पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व ऐसा कतई नहीं किया गया। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2023 शुरू से ही निरस्तनीय होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 2881/1 की पत्थरगढी करवाने बाबत उक्त उनवानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी उपरोक्त भूमि के कौन–कौन पडौसी काश्तकार है इनके बारे में स्पष्ट उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में प्रस्तुत नहीं किये जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र पडौसी काश्तकारों की स्पष्ट जानकारी के अभाव में स्वतः ही निरस्त किये जाने

योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने प्रार्थना–पत्र में स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि के किस दिशा की ओर कौनसा पडौसी काश्तकार है। तथा पडौसी खातेदार, काश्तकार व कब्जाधारकों को प्रार्थना–पत्र में बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक था। जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना–पत्र में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। तथा उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी कतई गौर नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.08.2023 खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना–पत्र के साथ पटवारी द्वारा अन्य राजस्व कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुँकर सीमाज्ञान किये जाने के उल्लेख करते हुये फर्द मौका तैयार किया गया है। लेकिन उक्त फर्द मौका रिपोर्ट में संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा कही पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि किस सीमाचिन्ह से किस सीमाचिन्ह तक की नाप कितनी है अर्थात जरीब से नाप किये जाने कि स्थिति में स्पष्ट उल्लेख फर्द मौका में किया जाना चाहिये कि इस सीमाचिन्ह से उस सीमाचिन्ह की नाप इतने गट्टा व इतनी कडी जरीब चलानी है, या दोनों सीमाचिन्हों की दूरी जरीब से ज्ञात करने की स्थिति में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये की इतना गट्टा इतनी कडी नाप की जानी है, लेकिन कहीं भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। लेकिन उक्त तथ्यों पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गौर नहीं किया जाकर मनमर्जी से पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो सरसरी तौर पर ही निरस्तनीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलान्टस् की भूमि के मध्य काफी सालों पुरानी तारबन्दी मय सीमेंन्ट के पीलरों पर हो रखी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नियम विरूद्ध की गई उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर मिथ्या कथनों के आधार पर तथ्य छिपाते हुये उक्त प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया है तथा उक्त नियम विरूद्ध सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्टस् की गैर मौजूदगी में अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। तथा उक्त नियम विरूद्ध सीमाज्ञान रिपोर्ट व अपीलाधीन निर्णय की आड़ में उक्त पुरानी तारबन्दी व पीलरों को तोडकर जबरन अपीलान्ट्स की भूमि में जबरन अवैध कब्जा करने की फिराक में है। इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.8.2023 पारित करने से पूर्व ना तो अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये। ना ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को अपना पक्ष इत्यादि रखने का अवसर दिया गया। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निर्णय की तारीफ में नहीं आने से एवं प्राकृतिक न्याय एवं न्यायशास्त्र के सिद्वान्तों के विपरीत होने से भी निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.08.2023 की जानकारी अपीलान्टस् को पूर्व में नहीं थी। दिनांक 06.05.2025 को हल्का पटवारी अपीलान्टस् की भूमि के मौके पर आया व भूमि का मौका देखने लगा तब अपीलान्टस् ने कहा की पटवारी हमारी जमीन का मौका क्यों देख रहे हो। तब हल्का पटवारी ने बताया की कल खसरा नम्बर 2881/1 की भूमि की पत्थरगढी होगी, जिसमें आपकी तारबन्दी हटायी जायेगी व आपकी भूमि का कब्जा लिया जाकर पत्थरगढी कर आपसे कब्जा लेकर आपकी पडौसी मनोहरी देवी को संभलाया जावेगा। तब अपीलान्टस् ने कहा की बिना नाप चौक आप हमें जबरन बेदखल कैसे कर सकते हो। तब हल्का पटवारी ने अपीलाधीन न्यायालय आदेश के बारे में बताया। जिस पर दिनांक 06.05.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर नकल आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति दिनांक 07.05.2025 को प्राप्त हुई, जिस पर अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.05.2025 को हुई। जिस पर जयपुर आकर अपने अधिवक्ता से अपील तैयार करवाकर अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। जिसके

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

लिये अलग से धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्यथा भी उक्त अपीलाधीन निर्णय अपीलान्टस् की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है। जिसके लिये कानूनन कोई मियाद नहीं है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 22.08.2023 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर दिनांक 22.08.2023 निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु पेश किया था। विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2881/1 रकबा 0.4100 है0 भूमि वाके ग्राम सरगोठ, पटवार हल्का सरगोठ, भू.अभि.नि. रींगस, तहसील रींगस, जिला सीकर में स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2023 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है, तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की जावे, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 06.05.2025 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में

नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में पडौसी खातेदार काश्तकार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि स्थित है। उभयपक्षों ने दौराने बहस यह स्वीकार किया है कि दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की जाती है तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि के समीपस्थ पक्षकारान् है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाने योग्य है तथा उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर को निर्देशित किया जाता है कि भूमि ख0न0 2881/1 रकबा 0.41 है0 तन ग्राम सरगोठ पटवार हल्का सरगोठ तहसील रींगस जिला सीकर का रूबरू पक्षकारान यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो सीमा कायम करते हुये पैमाईश कर कब्जा व मौका की स्थिति में कोई परिवर्तन किये बिना लैण्ड रिकॉर्ड्स ऑफिसर अर्थात उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर ही उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही की जा सकती है या कराई जावे।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.08.2023 यथावत रखा जाता है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस, जिला सीकर को निर्देशित किया जाता है कि लैण्ड रिकॉर्ड्स ऑफिसर अर्थात उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही की जा सकती है या कराई जावे तथा दोनों पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस जिला सीकर के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को आवश्यक रूप से उपस्थित होवें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 27.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर